

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 7(108)परि/नियम/मु./ 4/111

जयपुर, दिनांक 15-4-2025

कार्यालय आदेश 02/2025

विषय:- जिला परिवहन कार्यालय को ड्राईविंग लाईसेंस कोड आवंटित करने के क्रम में।

राज्य के निम्न जिला परिवहन कार्यालयों/उप परिवहन कार्यालयों को चालक लाईसेंस जारी करने हेतु लाईसेंस कोड निम्नानुसार आवंटित किया जाता है:-

क्र.सं.	परिवहन कार्यालय	लाईसेंस कोड
1	जिला परिवहन कार्यालय, अनूपगढ़-श्रीगंगानगर	RJ62
2	जिला परिवहन कार्यालय, खैरथल-तिजारा	RJ64
3	उप परिवहन कार्यालय, धौरीमन्ना-बाडमेर	RJ04B
4	उप परिवहन कार्यालय, निम्बाहेड़ा - चित्तौड़गढ़	RJ09C

(शुचि त्यागी)
शासन सचिव एवं आयुक्त,
परिवहन एवं सडक सुरक्षा

क्रमांक: एफ 7(108)परि/नियम/मु./ 4/112- 4/118

जयपुर, दिनांक 15-4-2025

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी एवं अतिरिक्त निदेशक, आई.टी.।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)